13
आदेशी-प्रेषित

समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला योजना कार्यालय)

फोन न0:-06114-223001, 223004

फैक्स न0 :- 06114-223142

ई-मेल:-dm-jehanabad.bih@nic.in

आदेश

गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना से वित्तीय वर्ष-2015-16 मे कब्रिस्तानों की घेराबन्दी मद में प्राप्त आवंटन के आलोक में, अद्योहस्ताक्षरी एवं पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित प्राथमिकता सूची अनुसार कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद द्वारा संबंधित अंचलाधिकारियों से प्राप्त भूमि संबंधी प्रतिवेदन के आधार प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक-2563/दिनांक-15.12.14 से तकनीकी अनुमोदनापरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

तदानुसार निम्नांकित कब्रिस्तान घेराबन्दी योजनाओं पर तकनीकी अनुमोदन के समतुल्य राशि पर (यथा कॉलम 6 में अंकित) प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, एवं इसके कार्यान्वयन की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद को दी जाती है।

क्र.	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत	कार्यकारी एजेंसी	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम विस्टौल में कब्रिस्तान घेराबन्दी कार्य।	जहानाबाद	मांदेविगहा	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद।	711300	एक माह
2	ग्राम परावन में कब्रिस्तान घेराबन्दी का कार्य।	घोषी	परावन	''	1513900	दो माह
				योगः-	**2225200**	

(मो0- बाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रू0 मात्र)

योजना के कार्यान्वयन की शर्ते :-

1. उपरोक्त योजना पर वर्ष- 2015-16 तक उपलब्ध आवंटन 50.00 लाख रूपये व्यय ही किया जायेगा।
2. योजना के कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद यह सुनिश्चित हो लेंगे कि किसी अन्य मद से योजना स्वीकृत अथवा कार्यान्वित तो नहीं है।
3. योजना की घेराबंदी से पहले से संबंधित अंचल अधिकारी से स्थल मापी प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् तथा तत्संबंधी संतुष्ट होने पर ही निर्माण कार्य प्रारंभ की जाय।
4. योजना के कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण करायेंगे।
5. योजना के कार्यान्वयन पूर्णरूपेण पी.डब्लू.डी. कोड के अनुसार निविदा के माध्यम से तथा गृह विशेष विभाग/ योजना एवं विकास विभाग द्वारा कब्रिस्तान घेराबन्दी से संबंधित समय-समय पर निर्गत मार्गदर्शन के आलोक में कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. योजना से संबंधित प्रभारी कनीय अभियंता योजना में किये गये कार्य की मापी प्रत्येक तीन दिन पर लेंगे। योजना की गुणवत्ता के लिए सहायक अभियंता एवं संबंधित कनीय अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।
7. योजना कार्य स्थल पर योजना निरीक्षण पंजी संधारित करना अनिवार्य है, जिसमें निरीक्षण के क्रम में प्रविष्टि की जायेगी।

उपावंटित राशि का व्यय किसी अन्य योजना में नहीं किया जायेगा। प्रत्येक योजना के लिए अभिलेख खोला जाय। संबंधित कनीय अभियंता द्वारा मास्टर रॉल एवं अभिश्रव को सत्यापित किया जायेगा। साथ ही कार्यकारी एजेंसी व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं योजना से संबंधित वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह जिला योजना कार्यालय को भेजेंगे।

9. कार्य करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पिछले पॉच वर्षों में योजना में कोई कार्य नहीं हुआ है।
10. कार्य की प्रगति एवं गुणवता के लिए कार्यकारी एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
11. कार्यकारी एजेंसी सभी योजनाओं की शुरूआत में, कार्य होते हुए एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफ लेकर एक-एक प्रति जिला योजना कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
12. प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना को पूर्ण नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे एवं पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढी हुई राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेंसी से की जायेगी।

ह०/-

जिलाधिकारी, जहानाबाद

संचिका सं0- XII- 55 / 16 ज्ञापांक 280 /जि0यो0, जहानाबाद,दिनांक 6-2-/2016

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जहानाबाद/ आई0टी0मैनेजर, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - संबंधित अंचलाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

6/2/16

जिलाधिकारी, जहानाबाद